फर्द अहकाम

न्यायालय इकराम बनाम सरकार
उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
संख्या 09/2024

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	11/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13/6/24 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	13/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र, पेरोकार सरकार जवाब, मौका शपथ एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने एवं वकील वादी की बहस को मनन करने पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 भू.रा. अधि. सपठित धारा 136 एल. आर. एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली कोन्सल शुमार होकर नतीजा में दर्ज होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
09/2024	09/02/2024	13.06.2024

1. हनुमान पुत्र प्रभात जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी सायपुर, तहसील आंधी, जिला जयपुर।
वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आंधी, जिला जयपुर।
प्रतिवादी

उपस्थित अभिभावक
श्री महेश शर्मा :— वकील वादी।
पैरोकार सरकार :— उपस्थित।

वाद घोषणा बाबत खातेदारी नाम दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट
सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट

—: निर्णयः—

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री महेश शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस कथन के साथ पेश किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 47, 48 किता 2 कुल रकबा 0.38है0 एवं खसरा नम्बर 21, 27, 28, 32, 399, 40, 41, 44, 46, 49, 50 किता 11 कुल रकबा 2.4000है0 भूमि ग्राम सायपुर, पटवार हल्का रायपुर, तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम इन्द्राज त्रुटिपूर्ण अंकत होकर वास्तविक व दस्तावेजी नाम के विपरीत दर्ज होने से विवादित आराजियात है। वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में अंकितानुसार प्रार्थी की पैतृक विरासत में खातेदार है। दौराने पैतृक विरासत कार्यवाही में खातेदार प्रार्थी के पिता का नाम हनुमान पुत्र प्रभात के स्थान पर खसरा नम्बर 47, 48 किता 2 कुल रकबा 0.38है0 के राजस्व रिकार्ड में हनुमान पुत्र जमन्या एवं खसरा नम्बर 21, 27, 28, 32, 399, 40, 41, 44, 49, 50 किता 11 कुल रकबा 2.4000है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम हनुमान पुत्र मु0जमना दर्ज कर दिया गया, जो कि राजस्व कर्मचारियों की भूल व चूक के द्वारा प्रार्थी के पिता का नाम जमन्या व मु0 जमना त्रुटिपूर्ण इन्द्राज है। जिसको दुरूस्त कराने का प्रार्थी अधिकारी है। खसरानम्बर 21, 27, 28, 32, 399, 40, 41, 46, 49, 50 किता 11 कुल रकबा 2.4000है0 भूमि के रिकार्ड में प्रार्थी के पिता प्रभात की विरासत में प्रार्थी का खातेदारी इन्द्राज हनुमान पुत्र प्रभात हिस्सा 1/6 अनुसार सही अंकित है। जिसके अनुसार ही प्रार्थी के ना0ओ0फोत चाचा जमन्या पुत्र नन्दा के विरासत में उक्त मद नं0 1 में अंकित भूमि के रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हनुमान पुत्र प्रभात दर्ज होना चाहिए था, जिसका प्रार्थी अधिकारी है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 47, 48 किता 2 कुल रकबा 0.38है0 के राजस्व रिकार्ड में हनुमान पुत्र जमन्या के स्थान पर एवं खसरा नम्बर 21, 27, 28, 32, 399, 40, 41, 44, 46, 49, 50 कुल किता 11 कुल रकबा 2.4000है0 के राजस्व रिकार्ड में हनुमान पुत्र मु. जमना के स्थान पर प्रार्थी का नाम हनुमान पुत्र प्रभात अनुसार खातेदारी दर्ज करने की घोषणा की जावें तथा तदानुसार राजस्व इन्द्राज में प्रार्थी के नाम का शुद्विकरण व दुरूस्तीकरण करने की आज्ञा व आदेश तहसीलदार को प्रदान किया जावें।

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/आर.टी./2024/215 दिनांक 14.03.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जो पत्रावली में शामिल है। वकील वादी ने साक्ष्य के रूप में श्री हनुमान सहाय पुत्र प्रभात व श्री मूलचन्द पुत्र भैरूराम का दावा के समर्थन में गवाह/बयान हेतु शपथ पत्र पृथक–पृथक पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादीगण की बहस सुनी गई।

अतः वकील वादी की बहस सुनने, पत्रावली में उपलब्ध वादी का वाद पत्र, तहसीलदार जवाब तथा अन्य दस्तावेजों एवं साक्ष्य शपथ पत्रों का अवलोकन करने पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम सायपुर, पटवार हलका सायपुर, तहसील आंधी, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 47, 48 कुल किता 2 कुल रकबा 0. 3800है0 के राजस्व रिकार्ड में हनुमान सहाय पुत्र जमन्या के स्थान पर एवं खसरा नम्बर 21, 27, 28, 32, 399, 40, 41, 44, 46, 49, 50 किता 11 कुल रकबा 2.4000है0 के राजस्व रिकार्ड में हनुमान पुत्र मु.जमना के स्थान पर वादी के खातेदारी इन्द्राज के स्थान पर हनुमान सहाय पुत्र प्रभात अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है तथा तद्नुसार राजस्व रिकार्ड इन्द्राज दुरूस्त किया जावें। खातेदार का हिस्से पूर्वानुसार रहेगा। तद्नुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 13.06.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

डिक्री मुकदमा इबताई

(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण

हनुमान **बनाम** **सरकार**

<u>दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट</u>

दिनांक 13.06.2024

मुकदमा नं0 09/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर0 ए0 एस0 हाजिरी श्री महेश शर्मा एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी दावा स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम सायपुर, पटवार हलका सायपुर, तहसील आंधी, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 47, 48 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3800है0 के राजस्व रिकार्ड में हनुमान सहाय पुत्र जमन्या के स्थान पर एवं खसरा नम्बर 21, 27, 28, 32, 399, 40, 41, 44, 46, 49, 50 किता 11 कुल रकबा 2.4000है0 के राजस्व रिकार्ड में हनुमान पुत्र मु.जमना के स्थान पर वादी के खातेदारी इन्द्राज के स्थान पर हनुमान सहाय पुत्र प्रभात अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है तथा तदानुसार राजस्व रिकार्ड इन्द्राज दुरूस्त किया जावें। खातेदार का हिस्से पूर्वानुसार रहेगा।

डिक्री दिनांक 13.06.2024 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ